

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

उनवान :

वादीगण

1. रामाराम पुत्र विशनाराम
2. हरदाराम पुत्र विशनाराम  
जाति सुथार निवासी लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. विशनाराम पुत्र भूराराम
2. खुशालाराम पुत्र हबताराम
3. परशुराम पुत्र हबताराम
4. भीमाराम पुत्र हबताराम
5. समदा पत्नी हबताराम  
जाति सुथार निवासी लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
4. मैनेजर एस.बी.आई. बैंक शाखा गुड़ामालानी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

दावा बाबत 88, 40, 188 RTA

मुकदमा नम्बर :- .....17...../2021

निर्णय दिनांक :-30.11..2021 (केम्प-ग्राम पंचायत मुख्यालय लूणवा जागीर)

वादीगण की ओर से वादीगण स्वयं की व प्रतिवादीगण की ओर से स्वयं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.11..2021 को श्री प्रमोद कुमार एसडीएम, गुड़ामालानी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-  
वादग्रस्त आराजी ग्राम लूणवा जागीर के खेत खसरा नम्बर 440 रकबा 15-11 बीघा, खसरा नम्बर 625 रकबा 21-06 बीघा, खसरा नम्बर 625/1 रकबा 0-04 बीघा, ग्राम उकजी की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 13 रकबा 1-13 बीघा, खसरा नम्बर 32 रकबा 6-01 बीघा, ग्राम भोलागर नगर के खेत खसरा नम्बर 333 रकबा 16-07 बीघा, खसरा नम्बर 400 रकबा 10-18 बीघा, ग्राम लूणवा खुर्द के खेत खसरा नम्बर 206 रकबा 18-18 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 विशनाराम पुत्र भूराराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे।

यह आज तारीख 30.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(प्रमोद कुमार)

(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी  
पंचायत समिति गुड़ामालानी

दिनांक : 5/12/21

क्रमांक: वाचक/2021/852

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

1. भूमिधारक तहसीलदार, गुड़ामालानी।

(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडोल